हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 105

शनिवार, 28 मार्च, 2026/7 चैत्र, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

1. **प्रश्नोत्तर**

(I) **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्या : 4135 से 4147 तक पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/उप-मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4144 व 4145 में वर्णित माननीय सदस्य श्री डी0एस0 ठाकुर व श्री सुधीर शर्मा अनुपस्थित थे परन्तु उन प्रश्नों के संदर्भ में अन्य माननीय सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न पूछे तथा मा0 मुख्य मंत्री/सम्बन्धित मंत्री ने उत्तर दिए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 4148 से 4181 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4154 माननीय सदस्य द्वारा वापिस लिया गया।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1630 से 1643 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

शून्य काल

1. **श्री सुरेन्द्र शौरी, सदस्य** ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय बंजार व सैंज में प्राध्यापकों के विभिन्न रिक्त पड़े पदों का मुद्दा मान्य में सदन में उठाते हुए कहा कि इन पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।

   माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार ने 400 पदों को भरने की स्वीकृति दे दी है। जहां तक इन महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की बात है, उस पर अवश्य उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य के सुझाव के अनुसार विभाग प्रयास करेगा कि सरप्लस स्टॉफ के माध्यम से रिक्त पदों को भरा जाए।

2. **श्री मलेन्द्र राजन, सदस्य** ने सरकार का ध्यान कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर के पलेटा गांव के निवासी स्वर्गीय हरीश राणा जी के अत्यंत संवेदनशील और मानवीय मामले की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जानना चाहा कि क्या सरकार के पास प्रदेश में ऐसे असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों का कोई डाटा है जो इच्छा मृत्यु चाहते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों की देखभाल के लिए विशेष नीति बनाने पर सरकार विचार करे तथा केन्द्र सरकार से भी इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति बनाने का आग्रह किया जाए।

   माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर यह बहुत ही गम्भीर मामला है और सरकार इस विषय में नीति बनाने पर विचार करेगी तथा असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों का डाटा इकट्ठा करने का भी प्रयास किया जाएगा।

3. **श्री लोकेन्दर कुमार, सदस्य**, अनुपस्थित

4. **श्री सुदर्शन सिंह बबलू, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र का मामला उठाते हुए कहा कि उनके विधान सभा क्षेत्र की काफी पंचायतें गगरेट विधान सभा के साथ लगती हैं, जिनका बिजली विभाग से सम्बन्धित एस0डी0ओ0 ऑफिस मुबारकपुर में पड़ता है। जिसकी वजह से लोगों को काफी असुविधा होती है क्योंकि उन पंचायतों के लोगों को अम्ब नजदीक पड़ता है। अम्ब के आस-पास की जितनी भी पंचायतें हैं, उनका एक्सियन व एस0डी0ओ अम्ब में ही है और उन्होंने उन पंचायतों को भी अम्ब के साथ जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। सरकार से आग्रह है कि इस विषय पर

सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। उन्होंने बिजली विभाग के एस0डी0ओ0 मुबारकपुर के लोगों के प्रति दुर्व्यवहारपूर्ण रवैये पर आपत्ति जताते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान मे लाया है। This is with regard to the reorganization of area from your Constituency to the other Division. The Vidhan Sabha has taken cognizance of this issue. Hon'ble Member has also brought into the notice of Vidhan Sabha that some employee's conduct is not proper. Vidhan Sabha Secretariat has taken cognizance of this and we will ask the concerned Department to take action in this behalf and whatever the action will be taken, both the Vidhan Sabha Secretariat and Hon'ble Member will be informed accordingly.

5. **श्री सुरेश कुमार, सदस्य** ने भोरंज क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन निगम के कोरोना काल से बन्द पड़े बस रूटस को पुनः चलाने का मुद्दा मान्य सदन में उठाते हुए कहा कि इन बन्द पड़े रूट्स के कारण स्थानीय लोगों व शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने चण्डीगढ़ से लदरौर तक चलने वाली बस को टौणी देवी तक बढ़ाने का भी आग्रह किया जिससे आम लोगों को सुविधा हो सके।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्य ने बस सेवा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। माननीय सदन ने इसका संज्ञान लिया है और वे विभाग और सरकार से कहेंगे कि जो कठिनाई माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बन्द पड़े बस रूट्स की वजह से हो रही है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से माननीय सदन व सदस्य को भी सूचित किया जाए।

6. **श्री दीप राज, माननीय सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र में लगने वाले मेलों का मुद्दा माननीय सदन में उठाते हुए कहा कि मेलों के दौरान बाहर से आए व्यापारी किराये पर जगह लेकर अपनी दुकानें खोलते हैं और मेलों के बाद भी काफी लम्बे समय तक वहीं रहते हैं जिससे स्थानीय व्यापारियों व प्रदेश को बहुत नुकसान हो रहा है। इस विषय में ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि निश्चित तौर पर एक बहुत ही गम्भीर विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है जिसका सम्बन्ध हिमाचल प्रदेश की आय से है। माननीय सदन ने इसका संज्ञान लिया है और चाहा है कि सरकार इस विषय पर कोई नीति निर्धारित करे तथा उस नीति के माध्यम से व्यवस्था को ठीक किया जाए। साथ ही की गई कार्रवाई से माननीय सदन और सदस्य को भी अवगत करवाया जाए।

7. **श्री त्रिलोक जम्वाल, सदस्य** ने अपने चुनाव क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आपदा के दौरान उनके क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि 25.41 करोड़ रुपये पी0डी0एन0ए0 के तहत इस नुकसान की भरपाई हेतु मिला है। कुछ ठेकेदार तो अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन कुछ ठेकेदार मनमाने ढंग से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करते हुए डंगों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कुछेक सड़कों का ज़िक्र करते हुए पी0डी0एन0ए0 के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की जांच करने व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने कहा निश्चित तौर पर एक गम्भीर विषय क्वालिटी वर्क के सम्बन्ध में माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है। वे विभाग से कहेंगे कि पी0डी0एन0ए0 के तहत जो कार्य माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं उनकी क्वालिटी मैंटेन की जाए और सही प्रकार से काम हों। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से माननीय सदन व सदस्य को भी अवगत करवाया जाए।

8. **श्री केवल सिंह पठानिया,उप-मुख्य सचेतक** ने कांगड़ा के धर्मशाला क्षेत्र में स्थित आंधन खोला-सुधेड़ सड़क की अत्यंत दयनीय स्थिति की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया जोकि पिछले लगभग 8 माह से बड़े वाहनों के लिए बन्द पड़ी है। उन्होंने इस मार्ग को खोलने का माननीय मंत्री से आग्रह किया।

माननीय लोक निर्माण मंत्री ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस मार्ग को बहाल करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल द्वारा उठाये गए मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वे आज ही बिलासपुर के लोक निर्माण अधिकारियों को इस विषय पर निर्देश देंगे। उन्होंने अवगत करवाया कि बरसात से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सड़कों पर कल्वट्र्स लगाने के साथ-साथ पानी की निकासी के लिए पी0वी0सी0 पाइप्स भी लगाई जा रही हैं।

9. **कुमारी अनुराधा राणा, सदस्य** ने शिक्षा के क्षेत्र में न्यू कॉम्लैक्स सिस्टम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वर्तमान में एक प्रिंसीपल के अधीन 15 से 20 स्कूल्ज़ हैं जिस कारण उन पर अत्याधिक बोझ पड़ रहा है। एक प्रिंसिपल के अधीन 15 से 20 स्कूल रहेंगे तो उनके संचालन में बहुत दिक्कत आएगी और इसका सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ेगा। निवेदन है कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करके समस्या का समाधान किया जाए।

   माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि माननीय सदस्या ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम से सम्बन्धित बात कही है और वह विभाग की बेहतरी के लिए है। प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उस सोच के साथ जो भी सार्थक विचार होंगे, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

10. **श्री राम कुमार, सदस्य** ने अपने विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा शिलान्यास किए गए एक नए सब-डिवीजन के भवन निर्माण का कार्य जल्द शुरू करने का आग्रह किया।

    माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदन ने इस विषय का संज्ञान लिया है और वे सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करने हेतु कहेंगे तथा की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य को भी सूचित किया जाएगा।

11. **श्री हरदीप सिंह बावा, सदस्य** ने नालागढ़ क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में 2023-24 में आई त्रासदी और आगजनी में जले पेड़ों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जले व सूखे हुए पेड़ों को फॉरैस्ट कॉर्पोरेशन अपने कब्जे में ले ताकि इन पेड़ों की चोरी न हो।

    माननीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदन के अंदर आदरणीय सदस्य द्वारा निश्चित तौर पर एक गम्भीर विषय उठाया गया है। उन्होंने जिस विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया है उसमें वन निगम गिरे हुए पेड़ों को लॉट लगाकर कंवर्ट करती है। वे विभाग को वहां पर जल्दी से लॉट लगाने व उसके निष्पादन हेतु निर्देश देंगे तथा की गई कार्रवाई से आपको भी अवगत करवाया जाएगा।

12. **श्री जीत राम कटवाल, सदस्य** ने कहा कि बाघछाल में पुलिस चौकी स्थापित करने का आग्रह किया गया था जोकि स्थापित भी हो गई थी। इस पुलिस चौकी के तहत पड़ने वाले क्षेत्र में चिट्टे का अवैध कारोबार हो रहा है लेकिन पुलिस चौकी में स्टॉफ की कमी के कारण इसको खोलने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अतः

यहां पर स्टॉफ को बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद् और नगर निगम के जो भी प्रतिनिधि आने वाले समय में चुनकर आएंगे या अन्य लोकल बॉडीज के प्रतिनिधि होंगे, उनके लिए भी उपमण्डल तथा जिला स्तर पर वर्कशॉप्स आयोजित की जाएं। वैसे तो सब-डिवीजन में एम0एल0ए0 को कंसंर्ड कर दिया है परंतु जहां मंत्री नहीं है वहां जिले में वरिष्ठ विधायक की अध्यक्षता में इसके ऊपर कार्रवाई करें। यह समाज के लिए बहुत बड़ा दायित्व है कि इस नशे की कुरीति को दूर किया जाए।

Hon'ble Speaker said that an important issue has been brought to the notice of this august House by the Hon'ble Member, Shri Jeet Ram Katwal ji. There are two issues: one is establishment of a Police Post, and the second is to nominate the local MLAs in the 20-Point Planning and Development Committees. Definitely, the House has taken cognizance of it. We will request the Government to take further necessary action in this behalf. Whatever action is taken will be informed to the House as well as to the Hon'ble Member accordingly.

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित का 46वाँ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें तथा तुलन-पत्र, वर्ष 2019-20 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा-62 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट वैटनरी कांऊसिल का वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जिला परिषदों के लेखाओं का वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 ।

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार पंचायत के लेखों की सपंरीक्षा रिपोर्ट (जिला परिषद्, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत), वर्ष 2024-25।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2025-26)** ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का **28वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने **154वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) पर बने **103वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** पर आधारित तथा **सामान्य प्रशासन विभाग** से सम्बन्धित है;

(3) समिति का **50वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) पर बने **115वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **गृह विभाग** से सम्बन्धित है; और

(4) समिति का **196वां मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) पर बने **36वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों

के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2025-26),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(1) समिति का **33वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **39वें मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2020-21) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **28वाँ मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) पर बने **77वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिश के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री संजय रत्न, सभापति, स्थानीय निधि लेखा समिति** (**वर्ष 2025-26**) ने समिति का **तृतीय मूल प्रतिवेदन** जोकि **स्थानीय शहरी निकायों द्वारा डबल एंट्री लेखांकन पद्धति को लागू न करने** की संवीक्षा पर आधारित तथा **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. <u>वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान।</u>

मांग संख्याः 9 (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण)

दिनांक 27.03.2026 को प्रस्तुत मांग संख्याः 9 (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) पर दिए गए कटौती प्रस्तावों पर जारी चर्चा में निम्नलिखित ने आगे भाग लियाः-

1. श्री जय राम ठाकुर, माननीय नेता प्रतिपक्ष (क्रमागत)

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा चर्चा में उठाए गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण देते हुए आश्वासन दिया कि जितने भी उनके द्वारा सुझाव दिए गए हैं उनका ध्यान रखा जाएगा।

(**01.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.05 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।**)

(**भोजनावकाश के उपरांत 2.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।**)

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"अब कटौती प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से रिवाइज्ड लिस्ट प्राप्त हुई है जिसमें सिर्फ 8 माननीय सदस्य ही इस कटौती प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेंगे। कटौती प्रस्ताव में चर्चा हेतु जो प्राथमिकता विधान सभा सचिवालय ने निश्चित की थी उसमें भी इन्होंने परिवर्तन करना चाहा है जिसके संबंध में माननीय सुख राम चौधरी जी से रिवाइज्ड लिस्ट प्राप्त हुई है जिसको वे इजाज़त दे रहे हैं।"

2. श्री पवन कुमार काजल, सदस्य

(**02.21 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।**)

3. श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य
4. श्री सुख राम चौधरी, सदस्य
5. श्री विनोद कुमार, सदस्य
6. डॉ0 जनक राज, सदस्य
7. श्री त्रिलोक जम्वाल, सदस्य
8. श्री पूर्ण सिंह ठाकुर, सदस्य

(04.35 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

9. डॉ0 हंस राज, सदस्य

माननीय मुख्य मंत्री ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधारों, एम0आर0आई0 मशीनों की खरीददारी, असिस्टैंट प्रोफैसर के सृजित किए गए पदों और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों तथा स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त अन्य कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के बारे में विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण दिया।

05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 2026 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

*****